

Ref No : SAC(E)/2026-27/346

दिनांक/Dated: October 14, 2026

सूचना / NOTICE

विषय : महाविद्यालय की संपत्ति को विरूपित करने पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यार्थी स्प्रे पेंट से दीवारों पर रंग कर, पोस्टर चिपकाकर, बिना अनुमति के विज्ञापन लगाकर, दीवारों पर लिखकर तथा इस प्रकार की अन्य अनधिकृत गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालय की संपत्ति को खराब कर रहे हैं।

इस प्रकार की गतिविधियाँ गंभीर अनुशासनहीनता हैं एवं ये महाविद्यालय के नियमों और अनुशासन की अनदेखी करने के साथ-साथ महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाती हैं। अतः सभी विद्यार्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से ऐसी गतिविधियाँ बंद करें और भविष्य में भी इनसे पूरी तरह दूर रहें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले, इनके लिए जिम्मेदार अथवा इनमें किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय के नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय प्रशासन इस प्रकार के किसी भी मामले को गंभीरता से लेगा तथा दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।

SUBJECT: STRICT PROHIBITION ON DEFAACEMENT OF COLLEGE PROPERTY

It has come to the notice of the undersigned that certain students are indulging in acts of defacement of College property by means of spray painting, pasting posters, displaying unapproved advertisements, writing on walls, and other such unauthorized activities.

Such acts constitute serious misconduct, reflect a blatant disregard for institutional discipline, and cause damage to College property. Accordingly, all students are hereby strictly directed to refrain from such activities with immediate effect.

It is notified that any student found involved in, responsible for, or facilitating such acts shall be liable to strict disciplinary action in accordance with the rules and regulations of the College. The College shall take a serious view of any such violation, and will take strict action against the offenders.

All students are directed to comply with these instructions.


(प्रो. गिरीश चन्द्र जोशी / Prof. Girish Chandra Joshi)
प्राचार्य / Principal